



प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस पदोन्नति प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि :- 04 माह

उत्तराखण्ड पुलिस

पाठ्यक्रम

मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस पदोन्नति प्रशिक्षण

अवधि 04 माह

कालांश विवरण अन्तः कक्षीय विषय

क्र०सं०	प्रशिक्षण विवरण	अवधि
1	प्रशिक्षण अवधि	04 माह
2	कुल प्रशिक्षण दिवस	122 दिवस
3	समयावधि में अवकाश के दिवस	33 दिवस
4	मध्यावधि वस्तुनिष्ठ परीक्षा	01 दिवस
5	अन्तिम वस्तुनिष्ठ परीक्षा	03 दिवस
6	फायरिंग	03 दिवस
7	बाह्य विषय की अन्तिम परीक्षा हेतु	06 दिवस
8	प्रशिक्षण समापन	01 दिवस
9	बाह्य प्रशिक्षण हेतु कुल दिवस	122-47=75 दिवस
10	प्रतिदिन कालांश की संख्या	06 कालांश
11	प्रति कालांश की समयावधि	40 मिनट
बाह्य विषय प्रशिक्षण हेतु कालांश		75x6=450 कालांश

अन्तः कक्ष विषयों के सम्पूर्ण कालांशों एवं अंकों का विवरण

क्र०सं०	बाह्य विषय	कालांश	अंक
1	प्रथम समूह- विधि प्रथम-भारतीय दण्ड विधान/दण्ड प्रक्रिया संहिता/भारतीय साक्ष्य अधिनियम	90	100
2	द्वितीय समूह- विधि द्वितीय-केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य के अधिनियम तथा केस लॉ	70	100
3	तृतीय समूह- कानून एवं व्यवस्था, पुलिस रेगुलेशन एवं कर्तव्य तथा संगठन	85	100
4	चतुर्थ समूह-अपराध निरोध, विवेचना एवं अभियोजन तथा विधि विज्ञान	80	100
5	पंचम समूह- सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान, मानवाधिकार तथा चुनौतियाँ	60	100
6	षष्ठम समूह- कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस एवं पुलिस दूरसंचार प्रणाली	65	100
योग -		450	600

कालांश विवरण बाह्य कक्ष विषय

क्र०सं०	प्रशिक्षण विवरण	अवधि
1	प्रशिक्षण अवधि	04 माह
2	कुल प्रशिक्षण दिवस	122 दिवस
3	समयावधि में अवकाश के दिवस	33 दिवस
4	अन्तः कक्ष की अन्तिम वस्तुनिष्ठ परीक्षा	04 दिवस
5	बाह्य विषय की अन्तिम परीक्षा हेतु	06 दिवस
6	प्रशिक्षण समापन	01 दिवस
7	बाह्य प्रशिक्षण हेतु कुल दिवस	122-44=78 दिवस
8	प्रतिदिन कालांश की संख्या	04 कालांश
9	प्रति कालांश की समयावधि	40 मिनट
10	बाह्य विषय प्रशिक्षण हेतु कालांश	78x4=312 कालांश

बाह्य कक्ष विषयों के सम्पूर्ण कालांशों एवं अंकों का विवरण

क्र०सं०	बाह्य विषय	कालांश	अंक
1	पदादि प्रशिक्षण	60	50
2	पुलिस प्रशिक्षण	60	50
3	शस्त्र प्रशिक्षण	38	60
4	शारीरिक प्रशिक्षण एवं शारीरिक दक्षता	60	70
5	फील्ड क्राफ्ट एवं दस्यू उन्मूलन तथा आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण	50	60
6	एम०टी० प्रशिक्षण (मोटर साईकिल)	18	10
.....	श्रमदान	26
योग -		312	300

परीक्षा संक्षेप

1. प्रशिक्षण अवधि में दो माह के उपरान्त अन्तः कक्ष विषयों की एक मध्यावधि वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में अन्तः कक्ष विषयों के सभी समूहों का एक संयुक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा। जिसमें सभी समूह के समान प्रश्न होंगे। इस परीक्षा में प्राप्त अंको की श्रेणी के आधार पर साक्षात्कार अंको में अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जायेंगे।
2. अन्तिम परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में सभी समूहों के अलग-अलग प्रश्न-पत्र होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा समय एक घंटा होगा। प्रतिदिन दो प्रश्न-पत्र आयोजित कराये जायेंगे।
3. उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः कक्ष एवं बाह्य विषयों के प्रत्येक समूह में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।
4. उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं का श्रेष्ठताक्रम निम्नानुसार निर्धारित होगा।
 - (क) प्राप्तांको के आधार पर।
 - (ख) प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भर्ती की वरिष्ठता के आधार पर।
 - (क) प्राप्तांको एवं भर्ती की तिथि समान होने पर जन्मतिथि में वरिष्ठता के आधार पर
5. अंतिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षुओं को एक माह का पूरक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षणोपरान्त संबंधित विषयों की पूरक परीक्षा ली जायेगी। इन प्रशिक्षुओं का श्रेष्ठताक्रम मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण सभी प्रशिक्षुओं के श्रेष्ठताक्रम के नीचे क्रमश उक्तानुसार निर्धारित किया जायेगा।

क्र०सं०	विवरण	अंक
1	अन्तः विषयों के कुल अंक	600
2	बाह्य विषयों के कुल अंक	300
3	प्रधानाचार्य/साक्षात्कार अंक	100
कुल योग		1000

प्रधानाचार्य/साक्षात्कार हेतु 100 अंको का निर्धारण निम्न प्रकार है।

(अ) 30 अंक प्रशिक्षुओं की अन्तः कक्ष एवं वाह्य कक्ष विषय प्रशिक्षकीय/खेल-कूद/सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित है :-

क- प्रशिक्षण के दौरान खेलों के लिये अधिकतम	05 अंक
ख- विशेष गतिविधियों के लिये अंक- 05	
1. कक्षा मॉनीटर	05 अंक
2. टोली कमांडर	04 अंक
3. मैस मैनेजर	03 अंक
नोट :- यदि प्रशिक्षु द्वारा एक या एक से अधिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया गया है तो उसे अधिकतम 05 अंक ही प्रदान किये जायेंगे।	
ग- प्रशिक्षण की मध्यावधि परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर - 20 अंक	
1. विशेष योग्यता श्रेणी 85 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर	20 अंक
2. प्रथम श्रेणी 75 प्रतिशत से 84.99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर	15 अंक
3. द्वितीय श्रेणी 65 प्रतिशत से 74.99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर	12 अंक
4. तृतीय श्रेणी 50 प्रतिशत से 64.99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर	10 अंक

(ब) शेष 70 अंक प्रशिक्षार्थी के अनुशासन, प्रशिक्षण के मध्य प्राप्त पुरस्कार, संस्था के लिये उसके योगदान इत्यादि को ध्यान में रखकर साक्षात्कार के आधार पर दिये जायेंगे। इस साक्षात्कार में प्रशिक्षुओं के सभी प्रशिक्षक सम्मिलित किये जायेंगे, ताकि प्रशिक्षुओं का पूर्ण आंकलन हो सके।

(स) निम्नलिखित प्रकार के अनुशासनहीनता के दृष्टान्तों पर उक्त अंको में से ऋणात्मक अंक दिये जायेंगे।

- | | |
|---|-----------|
| 1. गम्भीर अनुशासनहीनता | :- 25 अंक |
| 2. अवज्ञा | :- 10 अंक |
| 3. आदेश कक्ष (ओ0आर0) में दण्ड | :- 03 अंक |
| 4. डिफाल्टर/चेतावनी | :- 02 अंक |
| 5. विलम्ब से आगमन, अनुपस्थिति, निर्धारित अवकाश से अधिक अवकाश ,
सिक, रेस्ट, अस्तपताल दाखिल 1/2 अंक प्रतिदिन की दर से अधिकतम | :- 10 अंक |

पाठ्यक्रम आंतरिक विषय

प्रथम समूह— विधि प्रथम(भारतीय दण्ड विधान/दण्ड प्रक्रिया संहिता/भारतीय साक्ष्य अधिनियम)
कालांश :- 90

पूर्णांक:- 100

भारतीय दण्ड संहिता:- 1860

कालांश :- 45

अध्याय	विवरण
अध्याय-2	परिभाषा धारा 8, 10, 11, 21, 22 से 30, 34, 40, 44, 52ए
अध्याय-4	साधारण अपवाद धारा 76 से 106 तक
अध्याय-5	दुष्प्रेरण के संबंध में धारा 107 से 109
अध्याय-5 क	आपराधिक षडयंत्र धारा 120क एवं 120 ख
अध्याय 6	राज्य के विरुद्ध अपराध धारा 121, 121क एवं 124, 124ए
अध्याय 8	लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध धारा 141 से 149, 153,153ए,153बी,159,160
अध्याय 9	लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध धारा 166 से 170
अध्याय 9 क	निर्वाचन से संबंधित अपराध धारा 171क से 171 झ तक
अध्याय 10	लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकारीके अवमान के संबंध में धारा 172,174, 174ए, 175, 176,177,180,182,186,188,189
अध्याय 11	मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरुद्ध अपराध धारा 191 से 193,194,201, 211,212,216,216क, 218, 223,224,228क, 229क
अध्याय 14	लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध धारा 272 से 276, 279,292,294,294ए
अध्याय 15	धर्म से संबंधित अपराध धारा 295, 295ए
अध्याय 16	प्रथम -मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में धारा 299 से 304, 304ए, 304बी,307 से 309, 312 से 315
अध्याय 16	द्वितीय मानव शरीर पर गंभीर चोट के विषय में धारा 319 से 326, 332, 333, 336, 337, 338
अध्याय 16	तृतीय मानव शरीर संबंधी सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में धारा 339 से 341
अध्याय 16	चतुर्थ मानव शरीर पर आपराधिक बल और हमले के संबंध में धारा 353,354
अध्याय 16	पंचम व्यपहरण ,अपहरण, दासत्व और बलात्संग के विषय में धारा 359से 363ए, 364, 364ए, 366, 366अ एवं 366 ब
अध्याय 16	षष्ठम बलात्संग के विषय में धारा 375, 376, 376ए से 376 डी
अध्याय 17	प्रथम सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में चोरी विषयक धारा 378 से 382
अध्याय 17	द्वितीय उद्यापन के विषय में धारा 383 एवं 384
अध्याय 17	तृतीय लूट और डकैती के विषय में धारा 390 से 396 व 399 से 402
अध्याय 17	चतुर्थ सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में धारा 403 सं 406 व 409
अध्याय 17	पंचम चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने के विषय में धारा 410 से 414
अध्याय 17	षष्ठम छल के विषय में धारा 415 से 417, 419 व 420
अध्याय 17	सप्तम हानि के विषय में धारा 425, 426,429,435,436, 457 व 460
अध्याय 18	प्रथम दस्तावेजों और सम्पत्ति के चिन्हों संबंधी अपराध के विषय में धारा 463, 464, 466, 467, 468
अध्याय 18	द्वितीय करेन्सी नोटों का कूटकरण धारा 489ए से 489 ई
अध्याय 20	विवाह सम्बन्धी अपराधों के विषय में धारा 494, 498 ए
अध्याय 22	आपराधिक अभित्रास अपमान एवं क्षोम धारा 503, 504, 506, 509
अध्याय 23	अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में धारा 511

दण्ड प्रक्रिया संहिता

कालांश :- 30

दण्ड प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम 2005 (संख्या 25 सन् 2005) दि० 23 जून 2006 द्वारा यथा संशोधित एवं अध्यावधि सहित)

अध्याय	विवरण
अध्याय-1	परिभाषायें धारा 2ए से 2 वाई
अध्याय-4	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों) धारा 36, 37, 40 द०प्र०सं०
अध्याय- 5	(व्यक्तियों की गिरफ्तारियों) धारा 41 से 60 द०प्र०सं०
अध्याय- 6	गिरफ्तारी का वारण्ट सम्बन्धी धारा 70 सं 74
अध्याय 6	उद्घोषणा और कुर्की धारा 82 से 86
अध्याय-7	तलाशी संबंधी साधारण उपबन्ध धारा 100, 102 द०प्र०सं०
अध्याय 8	(परिशांति स्थापित करने के लिये, सदाचार के लिये प्रतिभूति) धारा 106, 107, 109, 110 द०प्र०सं०
अध्याय 10ए	लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना (विधि विरुद्ध जमाव) धारा 129 से 132
अध्याय 10बी	लोक बाधा (पब्लिक न्यूसेंस) धारा 133
अध्याय 10सी	आशंकित खतरे के अर्जेन्ट मामले मे धारा 144
अध्याय 10 डी	स्थायी सम्पत्ति में विषय में विवाद धारा 145
अध्याय 11	पुलिस का निवारक कार्य धारा 149 से 152
अध्याय 12क	पुलिस को सूचना और अन्वेषण करने की शक्तियाँ धारा 154 एवं 155
अध्याय 12 ख	पुलिस की अन्वेषण शक्तियाँ धारा 156 एवं 159
अध्याय 12 ग	पुलिस की गवाहों को परखने की शक्तियाँ धारा 160 से 164
अध्याय 12 घ	पुलिस की अन्वेषण से संबंधी तलाशी की शक्तियाँ धारा 165 से 167
अध्याय 12 च	अन्वेषण को पूर्ण करने से सम्बन्धित प्रक्रिया धारा 168 से 173
अध्याय 12 छ	अप्राकृतिक मृत्यु की जाँच धारा 174 से 176
अध्याय 33	जमानत एवं बंध पत्रों के बारे में उपबंध धारा 436 से 439 द०प्र०सं०

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

कालांश :- 15

अध्याय	विवरण
अध्याय-1	भारतीय साक्ष्य अधिनियम का परिचय एवं तथ्यों की सुसंगति धारा 3, 6 से 11, 14, 15
अध्याय-2 ख	संस्वीकृतियों धारा 17, 24 से 30
अध्याय- 2 ग	उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता धारा 32(1)
अध्याय-2 छ	अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है धारा 45 से 47, 51
अध्याय 4	मौखित साक्ष्य के विषय में धारा 59,60
अध्याय 5	दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में धारा 61 से 65क, 65ख, 67, 69, 74 से 78, 85क, 85 ख
अध्याय 7	सबूत के भार के विषय में धारा 101, 102, 106, 113क, 113ख, 114, 114 क
अध्याय 9	साक्ष्यों के विषय में धारा 118, 119, 125, 133, 134
अध्याय 10	साक्षियों के परीक्षण के विषय में धारा 135, 137, 159

केन्द्रीय विविध अधिनियम

कालांश :- 40

1	उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 महत्वपूर्ण धाराओं
2	पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधि०- 1966 धारा 2 (परिभाषायें) 3 एवं 5
3	आयुध अधिनियम 1959 धारा 2,3 से 6, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 37 से 39
4	भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 धारा 4, 9, 13
5	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम-1908 धारा 1 से 7
6	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम धारा 2से 7, 12, 13, 15, 17
7	विधि विरुद्ध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम- 1967 (यथा संशोधित 2004) धारा 1 से 3, 7, 8, 10 से 14 से 22,25
8	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम- 1988 धारा 7 से 13, 17, 19, 20
9	अनूसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 धारा 2 से 7, 8, 10,12,13,16,17,19,20,22
10	भारतीय रेल अधिनियम-1989 धारा 137 से 147, 150 से 157, 160 से 168, 172 से 176, 179, 180
11	रेल सम्पत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966 धारा 2 से 10, 13
12	भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 महत्वपूर्ण धारायें
13	दहेत प्रतिषेध अधिनियम-1986 धारा 2 से 8क
14	स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 धारा 8, 15 से 32, 36अ, 41से 68
15	किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम- 2000 महत्वपूर्ण धारायें
16	पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 धारा 2, 3, 11,12,33,34
17	पशु अतिचार अधिनियम 1871 धारा 10, 11, 24
18	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 1,2 48क, 48ख, 49 ग, 50 से 58
19	सार्वजनिक जुआ अधिनियम-1867 धारा 3, 4, 7, 13, 13क
20	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
21	अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम- 1956 धारा 1 से 18, 20, 21
22	लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम- 1984 धारा 2 से 6
23	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम – 1994
24	मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधित) धारा4, 5, 7, 16, 20, 29, 31, 35, 39, 40, 44 से 47, 56, 66, 119, 122 से 135, 177 से 179, 181, 183 से 187, 190, 192, 194, 196, 197, 200, 202, 207
25	सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 धारा 65 से 80
26	कॉपी राइट एक्ट 1957 धारा 2, 3, 14, 19, 30, 52क, 63, 63क, 64, 65, 65क, 68
27	प्री कन्सेप्सन एण्ड प्री नेटल डाइग्नोस्टिक टेक्नीक (प्रोविजन आफ सेक्स सलेक्शन) एक्ट 1994 धारा 2 से 24, 28, 29, 30
28	भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम 1994 (यथा संशोधित 2003) महत्वपूर्ण धारायें
29	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 123 से 135, 139
30	घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महत्वपूर्ण धारायें
31	सिविल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955 धारा 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15

राज्य के अधिनियम

कालांश :- 12

1	उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं असामाजिक कार्यकलाप निवारण अधिनियम 1986 धारा 2 से 4, 14, 19
2	उ0प्र0 गुण्डा निवारण अधिनियम 1970 धारा 3, 4
3	उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 धारा 3,4,6,7,12,15,17 से 23,25,34,35,38,42, 45,48 से 52, 54 से 70, 72
4	उत्तराखण्ड गोवध निवारण अधिनियम 2007
5	उ0प्र0 वृक्षों का संरक्षण अधिनियम 1976 धारा 4, 10
6	उ0प्र0 जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1986(1951) महत्वपूर्ण धारायें
7	उ0प्र0 अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (अधि0सं0 30 / 1966)

केस लॉ

संविधान एवं मानवाधिकार

कालांश :- 18

1. मानवाधिकार

दिलीप कुमार बसु बनाम बंगाल राज्य 1997 एससीसी 642

जोगेन्द्र कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य 1994 सीआरएलजे 1981

गिरफ्तारी के समय/ गिरफ्तार किये जा रहे व्यक्ति के अधिकारों को इस विधि व्यवस्था में परिभाषित करते हुये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये गये है।

2. हथकड़ी का प्रयोग

सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 सीआरएलजे 1099

सिटिजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम आसाम राज्य 1995 एससीसी 743

इन विधि व्यवस्थाओं में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हथकड़ी का प्रयोग किन परिस्थितियों में अनुमन्य है।

3. परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ (ए0आई0आर0 1989 सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 2039)

एक दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति का जीवन विधिक औपचारिकताओं की तुलना में कही अधिक मूल्यवान होता है। अतः चिकित्सक को घायल व्यक्ति का उपचार तत्काल बिना इस बात की प्रतीक्षा किये किया जाना चाहिये कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) पंजीकृत हुई अथवा नहीं।

4. अनामी रेड्डी वेंकटरमन व अन्य बनाम पब्लिक प्रासीक्यूटर आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2008(61) एसीसी 703 (सर्वोच्च न्यायालय)

किसी संज्ञेय मामले में पुलिस को कार्यवाही करने के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने का इन्तजार नहीं करना चाहिये। पुलिस (राज्य) का कर्तव्य है कि वह घायलों का जीवन बचाने हेतु शीघ्र घटनास्थल पर पहुँचे।

5. **चन्द्र प्रकाश केवल चंद्र जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य (एस0सी0आर0 1990 पृष्ठ 115)**
जब कोई वर्दीधारी व्यक्ति अर्थात् पुलिस कर्मी किसी युवा लड़की के साथ बलात्संग का गंभीर अपराध करता है तो ऐसी स्थिति में दण्ड अवश्य ही उदाहरणात्मक होना चाहिये। अर्थात् इस प्रकार के मामलों में आरोपी के साथ दण्डादेश के प्रश्न पर सहानुभूति या दया की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।
6. **नीलावती बेहरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एस0सी0सी0 1993 पृष्ठ 746)**
पुलिस अभिरक्षा के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर राज्य को पुलिस कर्मियों के दोषपूर्ण कृत्यों के लिये उस नागरिक को मुआवजा देना होगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता / भारतीय दंड संहिता

1. **प्रथम सूचना में देरी**
एन0के0 बनाम राजस्थान राज्य एससीसी 2000 पृष्ठ 30
प्र0सू0रि0 में देरी किन परिस्थितियों में क्षम्य है, यह व्यवस्था इस निर्णय में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी है।
2. **राजेन्द्र सिंह कटोच बनाम चण्डीगढ प्रशासन 2008(60) ए0सी0सी0 347 सर्वोच्च न्यायालय**
थाने का भारसाधक अधिकारी किसी मामले में जिनमें वह बिना मजिस्ट्रेट से अनुमति के विवेचना करने का अधिकार रखता है, विधिक रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिये बाध्य है। परन्तु एक सक्षम पुलिस अधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले आरोप की सत्यता के बारे में प्रारम्भिक जाँच करने का अधिकार है।
3. **बीनू गोपाल बनाम आन्ध्र प्रदेश (कि0लॉ0ज0 1964 पृष्ठ 16)**
पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बयान देने के लिये दबाव डालने हेतु मारने पीटने या निरुद्ध करने के लिये प्राधिकृत नहीं है।
4. **मनीषरतन व अन्य बनाम म0प्र0 राज्य व अन्य 2007(57) ए0सी0सी0 264 सर्वोच्च न्यायालय**
किसी विवाहिता से दहेज की मांग एवं कूरता उसकी ससुराल एवं मायके में, जहाँ वह वर्तमान में निवास करती है, की गई है। तब अभियुक्त के विरुद्ध दोनो स्थानों में से किसी भी स्थान पर अभियोग का विचारण हो सकता है।
5. **सुन्दरभाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य (उम0नि0पु0 2003 पृष्ठ 338)**
पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्ति के धारा 451 एवं 457 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत निस्तारण के बारे में मा0 उच्चतम न्यायालय ने आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं।
6. **ब्रजलालभर बनाम उ0प्र0 राज्य 2006 (55) एसीसी 864 सर्वोच्च न्यायालय**
प्र0सू0रि0 में देरी किन परिस्थितियों में क्षम्य है, यह व्यवस्था इस निर्णय में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी है।

7. तापस डी० नियोगी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1999 कि०लॉ०ज० 4305 सर्वोच्च न्यायालय अभियुक्त का बैंक एकाउन्ट धारा 102 द०प्र०सं० के अर्न्तगत सम्पत्ति की श्रेणी में आता है। पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के दौरान ऐसे एकाउन्ट को सीज करने का या उसका परिचालन बन्द करने का अधिकार है।

साक्ष्य अधिनियम

1. मृत्युकालीन कथन
उकराम बनाम राजस्थान राज्य एसीसी 2001 पुष्ठ 972 (मा० सर्वोच्च न्यायालय)
मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विधि व्यवस्था में मृत्युकालिन कथन की ग्राह्यता एवं कथन अंकित करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला गया है।
2. बालक की साक्ष्य
दत्तुराम सखारे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1997 ए०सी०सी० (सर्वोच्च न्यायालय) पृष्ठ 100 बालक की साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार सिद्धांत वर्णित किया गया है।
3. परिस्थितिजन्य साक्ष्य
निसार अहमद बनाम बिहार राज्य एसीसी 2001 पृष्ठ 846 सर्वोच्च न्यायालय
मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विधि व्यवस्था में यह कहा है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का क्या महत्व है एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दण्ड दिया जा सकता है।

तृतीय समूह—कानून एवं व्यवस्था, पुलिस रेग्यूलेशन एवं कर्तव्य तथा पुलिस संगठन

कालांश – 85

पूर्णांक:— 100 अंक

भाग :- 01 (कानून एवं व्यवस्था)

1. कानून व्यवस्था का अर्थ तथा महत्व एवं उसको प्रभावित करने वाले बिन्दु।
2. थाना स्तर पर कानून एवं व्यवस्था बनाये जाने की आवश्यकता व उसके आधार :-
 - (क) संवेदनशील तथा समस्याग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित करना।
 - (ख) असाजिक तत्वों के संबंध में अभिसूचना एकत्र करना।
 - (ग) थाने के अभिलेखों को अध्यावधिक रखना
3. थाना क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में निम्न का योगदान
 - (क) थाना बीट्स एवं गश्त
 - (ख) थाना पुलिस द्वारा निगरानी एवं गाढाबन्दी
 - (ग) जनता की भागीदारी की आवश्यकता और महत्व
4. थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाने में दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रमुख प्राविधान (धारा 107, 116, 108, 129, 144 एवं 145) तथा धारा 110, 147, 151
5. थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस एक्ट व पुलिस रेग्यूलेशन के प्रमुख प्राविधान
6. भीड़ नियंत्रण
 - (क) भीड़ का अर्थ व प्रकार
 - (ख) भीड़ का मनोविज्ञान एवं व्यवहार
 - (ग) भीड़ नियंत्रण के सिद्धांत तथा जबाबी रणनीति, अभिसूचना संकलन, विधिक उपाय, परामर्श एवं मध्यस्थता।
 - (घ) शान्ति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ रोकथाम की कार्यवाही एवं आशंकित खतरे की रोकथाम हेतु धारा 144 द0प्र0सं0 की कार्यवाही
 - (ङ) औद्योगिक विवादों के समय पुलिस की व्यवस्था
 - (च) विद्यार्थी वर्ग के विवादों के समय पुलिस व्यवस्था
 - (छ) राजनैतिक विवादों के समय पुलिस व्यवस्था
 - (ज) साम्प्रदायिक दंगों के समय पुलिस व्यवस्था
 - (झ) दंगा नियंत्रण योजना का ज्ञान
 - (ण) हिंसक आन्दोलन के समय पुलिस बल प्रयोग करने के प्राविधानों जिसमें पुलिस फायरिंग भी सम्मिलित है।

7. मेला प्रबन्ध :-

- (क) मेला क्षेत्र का निरीक्षण/मेला क्षेत्रों को सेक्टरों में बाटकर पुलिस बल की नियुक्ति/यातायात व्यवस्था/घुड़सवार/अग्निशमन /संचार व्यवस्था एवं वाच टावर पर पुलिस की व्यवस्था
- (ख) पार्किंग व्यवस्था/रिजर्व पुलिस बल की व्यवस्था/जल पुलिस की व्यवस्था
- (ग) अपराधों की रोकथाम हेतु गश्त व्यवस्था
- (घ) मेले हेतु नौटंकी/जादू/मौत का कुआं एवं अन्य मनोरंजन साधनों पर पुलिस की व्यवस्था।

8. त्यौहारों पर पुलिस व्यवस्था

- (क) त्यौहारों पर पुलिस की व्यवस्था एवं भूमिका/संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति करना/यातायात व्यवस्था करना।
- (ख) शान्ति भंग करने वालों के विरुद्ध समय रहते कार्यवाही करना।

9. चुनाव के समय पुलिस की व्यवस्था/ड्यूटी-भूमिका तथा उत्तरदायित्व

10. विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था :-

- (क) विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था/ड्यूटी कर्तव्य एवं सावधानियाँ
- (ख) हैलीपैड एवं आने-जाने वाले मार्ग पर की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था।
- (ग) कार्यक्रम स्थल पर की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था/ड्यूटी एवं सावधानियाँ
- (घ) ठहरने के स्थान पर की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था/ ड्यूटी एवं सावधानियाँ
- (ङ) महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, वायुयानों, रेलवे, औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक महत्व के भवनों की सुरक्षा व्यवस्था/ ड्यूटी एवं सावधानियाँ
- (च) सार्वजनिक/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर बम एवं विस्फोटकों से सावधानियों व सुरक्षा के उपाय

11. यातायात नियंत्रण एवं प्रबंधन :-

- (क) मोटरयान नियमावली 1989 नियम 13, 27, 42, 57, 62, 84, 85, 102
- (ख) यातायात के सामान्य सिद्धांत एवं विभिन्न स्थितियों जैसे सामान्य यातायात, भारी यातायात, एकमार्गिक यातायात एवं विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के समय यातायात व्यवस्था की योजना
- (ग) राजमार्गों पर यातायात के नियम एवं आचरण
- (घ) ट्रैफिक जाम के समय यातायात व्यवस्था
- (ङ) हाइवै पैट्रोलिंग/ट्रैफिक बीट
- (च) यातायात सुरक्षा संबंधी ज्ञान
- (छ) वाहनों में लाल एवं नीली फ्लैशर/बत्ती तथा हूटर व साइरन के प्रयोग करने संबंधी नियमों का ज्ञान एवं प्रयोग करने हेतु अधिकृत गणमान्य व्यक्तियों /अधिकारियों की जानकारी।
- (ज) यातायात कार्यों में जनता एवं विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों में तालमेल

(झ) वाहनों का पंजीकरण एवं नियंत्रण

(ण) वाहनों का बीमा एवं दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का मुआवजा

12. आपदा प्रबंधन :-

(क) आकस्मिक दुर्घटनाओं—चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन एवं भूकम्प इत्यादि के दौरान पुलिस की कार्य योजना एवं उत्तरदायित्व

(ख) सड़क, रेल एवं वायु दुर्घटनाओं में पुलिस की कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व।

(ग) अग्निशमन/बचाव कार्य तथा अन्य विभागों से सामंजस्य एवं राहत सेवाओं के रखरखाव का प्राविधान।

भाग- 02 (पुलिस रेग्युलेशन एवं कर्तव्य तथा पुलिस संगठन)

1. पुलिस रेग्युलेशन :-

अध्याय-1 वरिष्ठ अधिकारीगढ़ पैरा 1 से 17

अध्याय-2 रिजर्व निरीक्षक तथा रिजर्व उपनिरीक्षक पैरा 18 से 24

अध्याय-3 पैरा 39

अध्याय-5 उपनिरीक्षक तथा ना0पु0 के अधिनस्त अधिकारी पैरा 51,55 से 58 तथा 59

अध्याय-6 सशस्त्र पुलिस पैरा 65 से 70

अध्याय-9 ग्राम पुलिस पैरा 89 से 96

अध्याय-10 थाने में की गयी रिपोर्ट पैरा 97 से 100, 101, 101क तथा 102, 103 तक

अध्याय-11 अनुसंधान पैरा 104 से 128

अध्याय-12 पंचायतनामा, शव परीक्षा और घायल व्यक्तियों का उपचार) 129 से 144, 145

अध्याय-13 गिरफ्तारी पैरा 147, 147 क

अध्याय-14 सम्पत्ति की अभिरक्षा और निस्तारण पैरा 165, 173

अध्याय-15 विशेष अपराध पैरा 176

अध्याय-17 गश्त और नाकाबन्दी पैरा 190, 191, 195

अध्याय-19 फरार अपराधी पैरा 215 से 222

अध्याय-20 बुरे चरित्र वालों का पंजीकरण और निगरानी पैरा 223 से 276

अध्याय-22 अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज पैरा 294, 295, 296

अध्याय-23 पुलिस थाने पर रखे जाने गये अभिलेख पैरा 301 से 308

अध्याय-31 पारितोषिक पैरा 464 से 471

2. उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली- संपूर्ण

3. कर्तव्य :-

(अ) थाना ड्युटी

1. हेड मुहर्रिरे के कर्तव्य (लेखक, खजांची व रक्षक)

2. थाना प्रभारी की अनुपस्थिति में हेड मुहर्रिरे के कर्तव्य

3. सरकारी सम्पत्ति की देखभाल करना तथा सुरक्षित रखना।

4. हवालात की सुरक्षा एवं मुल्जिमों की देखभाल

5. चरित्र सत्यापन करना
6. रोजनामचा आम का लिखना(विशेष रूप से कायमी मुकदमा, डाक की आमद व रवानगी, केश का आय व्यय) अभियुक्तों (बिना पर्दा एवं बापर्दा) की आमद एवं रवानगी, सरकारी मरम्मत धन का आय व्यय, एच0एस0 चैकिंग, बीट सूचना आदि को अंकित करना।

(ब) पुलिस कार्यालय ड्युटी

1. पुलिस कार्यालयों में नियुक्त (विभिन्न पेशियों) हेड कानि0 के कर्तव्य
2. पुलिस लाइन में नियुक्त हेड कानि0 (जी0डी0 लेखक) के कर्तव्य

(स) गुप्तचर ड्युटी

1. अपराधिक गुप्त सूचनाओं का संग्रह करना।
 2. सादे कपड़े में गुप्तचर ड्युटी
- (य) रेलवे ड्युटी स्टेशन व ट्रेन
(र) अग्निशमन यंत्रों का ज्ञान एवं अग्निशमन प्रक्रिया

4—पुलिस संगठन

(क) केन्द्रीय पुलिस संगठन—उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 1. आई0बी0 | 6. बी0एस0एफ0 | 11. एन0एस0जी0 |
| 2. सी0बी0आई0 | 7. रेलवे सुरक्षा बल | 12. एस0पी0जी0 |
| 3. आर0एण्डए0 डब्लू0
(रॉ) | 8. रेलवे सुरक्षा विशेष
बल | 13. एन0सी0आर0बी0 |
| 4. बी0पी0आर0एण्ड डी0 | 9. सी0आई0एस0एफ0 | 14. एस0एस0बी0 |
| 5. सी0आर0पी0एफ0 | 10. आई0टी0बी0पी0 | |

(ख) सहायक इकाईयों

1. होमगार्ड संगठन एवं कार्य
2. नागरिक सुरक्षा संगठन एवं कार्य
3. प्रान्तीय रक्षा दल
4. विशेष पुलिस

(क) अपराध शास्त्र :-

1. अपराध की परीभाषा एवं प्रकार
2. अपराध के सामाजिक व आर्थिक कारण
3. अपराध के मनोवैज्ञानिक, धार्मिक व राजनैतिक कारण
4. बाल अपराध के प्रकार व कारण
5. दण्ड की आवश्यकता और सिद्धांत
6. देश की कारागार प्रणाली का विवरण, पैरोल व परवीक्षा से अपराध पर नियंत्रण
7. अपराध शास्त्र की विभिन्न अवधारणा

(ख) अपराध निरोध :-

1. गश्त, प्रकार एवं नियम व उसकी उपयोगिता
2. निगरानी तथा इसके प्रकार एवं तरीके व महत्व
3. गाढाबन्दी एवं इसके प्रकार तथा इसकी उपयोगिता
4. ग्राम सुरक्षा समितियाँ/मौहल्ला सुरक्षा समितियाँ की अपराध निरोध में उपयोतगिता

(ग) निरोधात्मक कार्यवाही :-

1. 107, 116, 116(3) की प्रभावी कार्यवाही
2. 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही व अपराध की रोकथाम।
3. 129 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही व अपराध की रोकथाम।
4. 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रभावी प्रयोग (कफर्यू लगाने के संबंध में विशेष रूप से)
5. सम्पत्ति विवाद व 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रभावी प्रयोग।
6. 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही व अपराध की रोकथाम।

(घ) आपराधिक अभिलेख :-

1. थाने के अभिलेखों की जानकारी एवं उनकी उपयोगिता तथा रख-रखाव
2. पुलिस अधीक्षक कार्यालय (विभिन्न पेशियों/क्षेत्राधिकारी कार्यालय तथा अभियोजन कार्यालय में रखे जाने वाले आपराधिक अभिलेख)
3. डी0सी0आर0बी0 व राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (एस0सी0आर0बी0) के अपराध संबंधी अभिलेख एवं उपयोगिता
4. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन0सी0आर0बी0)के अपराध संबंधी अभिलेख एवं उपयोगिता।
5. हिस्ट्रीशीट एवं ग्राम अपराध पुस्तिका का विस्तृत ज्ञान।

(ड) अपराध के अन्य स्वरूप :-

1. साइबर क्राइम
2. आर्थिक अपराध
3. संगठित अपराध

(च) विवेचना :-

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध व असंज्ञेय अपराध को लेखबद्ध करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ ।
2. झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने वाले के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही (182 दं0प्र0सं0)
3. विवेचक के अधिकार एवं अभियुक्त के अधिकार
4. अपराध स्वीकार करने वाले अपराधियों के बयान, स्वीकृति व संस्वीकृति का अंतर एवं संस्वीकृति के प्रकार
5. गिरफ्तारी के प्रावधान एवं प्रक्रिया तथा अभिरक्षा
6. अभियुक्त का रिमाण्ड प्राप्त करना विधि व प्रक्रिया
7. मृत्युकालिक घोषणा ।
8. जमानत के सिद्धांत
9. तलाशी बरामदगी के दौरान बनाये जाने वाले अभिलेख एवं सावधानियाँ
10. कार्यवाही शिनाख्त (व्यक्ति व माल)
11. अन्तिम रिपोर्ट तथा आरोप पत्र तैयार करना ।

(छ) विवेचना (व्यवहारिक पक्ष) :-

1. विवेचना का अर्थ प्रक्रिया एवं सिद्धांत
2. घटनास्थल का निरीक्षण व अपेक्षित कार्यवाही-रेखाचित्र, फोटोग्राफी, खोजी साक्ष्य व उनका भौतिक संकलन ।
3. साक्षियों के प्रकार उनसे पूछताछ के प्राविधान एवं प्रक्रिया ।
4. अपराधिक सूचनाओं के विभिन्न श्रोत (मुखबिर सहित) एवं इनकी विवेचना में उपयोगिता ।
5. अपराधियों की कार्य प्रणाली उसको चिन्हित करके अपराधियों की तलाश करना एवं अधिसूचित संवर्ग (पूर्व अपराधी संवर्ग) की जानकारी ।
6. संदिग्ध व्यक्ति/अभियुक्त से पूछताछ-पूछताछ के विभिन्न प्रकार तथा गुर/सामान्य सिद्धांत व सावधानियाँ, पूछताछ में बल प्रयोग /वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना ।
7. आपराधिक विवेचना में श्वान दल का उपयोग ।

(ज) अभियोजन :-

1. जनपदीय न्यायिक व्यवस्था व मुकदमों की पैरवी ।
2. विभिन्न न्यायालयों की शक्ति व कार्य विभाजन ।
3. डी0जी0सी0 (किमिनल)/ए0डी0जी0सी0 व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी आदि के कर्तव्य ।

4. अभियोगों का सत्र न्यायालय में सुपुर्दगी/पैरोल की प्रक्रिया।
5. गवाहों की समस्यायें और उनका निराकरण।

फॉरेंसिक साइंस (विधि विज्ञान)

1. विधि विज्ञान संस्थान तथा विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संबंधी नियम।
2. घटना स्थल :- परिभाषा, प्रकार, निरीक्षण के नियम एवं विधियाँ, घटनास्थल की सुरक्षा से लाभ।
3. अंगुल चिन्ह – परिभाषा, महत्व, छाप के प्रकार एवं उठाने की प्रक्रिया, फिंगर प्रिन्ट का मिलान करना, सर्च फार्म एवं रिकार्ड फार्म का ज्ञान तथा इसका उपयोग।
4. आग्नेयास्त्र, कारतूस बुलेट, छर्रे, टिकलियां, फायरिंग पाउडर के प्रकार, फायरिंगके द्वारा प्रभावित अन्य पदार्थ। घटना स्थल से अवशेषों को उठाना तथा सुरक्षित रखना एवं पैक करना।
5. विस्फोटक पदार्थों के प्रकार एवं विस्फोटकों की पहचान तथा विस्फोटक पदार्थों/सामग्री से सावधानियाँ एवं बचाव के तरीके तथा घटनास्थल को सुरक्षित करना।
6. घटनास्थल से मलवा, रेशे, कपड़े, धूल, शीशा, पेन्ट, तार, जलावशेष आदि एकत्र करना।
7. विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों एवं द्रव्यों का ज्ञान एवं उनकी पहचान।
8. जाली सिक्के और नोट की पहचान।

चिकित्सा विज्ञान

1. चोटों के प्रकार एवं लक्षण एवं मृत्यु से पूर्व एवं मृत्यु के बाद आयी चोटों का ज्ञान।
2. मृत्यु के प्रकार— दम घुटने से मृत्यु, डूब कर मृत्यु, गला घोटकर मृत्यु, श्वांसारोध(थाटलिंग), फॉसी लगाकर मृत्यु।
3. मृत्यु के कारण— हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, स्वाभाविक (प्राकृतिक) मृत्यु।
4. मृत्यु के समय का निर्धारण करना तथा मृत व्यक्तियों की पहचान।
5. मेडिको लीगल दृष्टिसे यौन अपराधों (बलात्कार/आप्रकृतिक यौन क्रिया) इत्यादि का ज्ञान।

टॉक्सीलॉजी :-

1. विसरा प्रजर्वेशन
2. अपराधों में प्रयोग किये जाने वाले विष(मृत एवं जीवित व्यक्तियों के संबंध में) प्रकार एवं उनकी पहचान—मुख्यतः आर्सेनिक, सल्फास, धतूरा, कीटनाशक इत्यादि एवं उनका मेडिको लीगल दृष्टि से ज्ञान।
3. जहरखुरानी अपराधों में सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली दवाईयाँ यथा डायजीपाम इत्यादि।

सिरोलॉजी / बायोलॉजी :-

1. मानव रक्त का वर्गीकरण, मानव तथा पशु रक्त में अंतर स्पष्ट करना। (बैंजडीन एवं जैल टेस्ट तथा एबजार्शन इल्यूशन टेक्नीक)
2. घटनास्थल पर रक्त बिखरने के ढंग के आधार पर अपराध की प्रकृति का निर्धारण करना।
3. घटनास्थल से रक्त/खून आलूदा कपड़े/मिट्टी इत्यादि एकत्रित करना तथा सैंपल सुरक्षित रखना एवं परीक्षण हेतु भेजने के लिये पैक करना।
4. बलात्कार के घटनास्थल /पीड़ित से भौतिक साक्ष्य एकत्रित करना एवं परीक्षण हेतु भेजना तथा इसके दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ।

डीएनए की जांच एवं उपयोगिता :-

1. डीएनए जांच का विभिन्न प्रकार के अपराधों की विवेचना में उपयोग एवं महत्ता।
2. डीएनए का सैंपल लेना एवं पैक कराने की प्रक्रिया तथा परीक्षण हेतु भेजने के प्रक्रिया।

1— सामान्य ज्ञान :-

(क) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

1. मानव शरीर की संरचना
2. मानव रक्त का वर्गीकरण
3. एचआईवी (एड्स) का ज्ञान एवं बचाव के उपाय
4. विभिन्न संक्रमण रोग एवं बचाव के उपाय यथा— मलेरिया, तपेदिक इत्यादि।

(ख) आर्थिक (स्वाध्याय हेतु विषय)

1. देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था
2. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर
3. संसाधनों का वितरण—रूपया कहाँ से आता है।
4. प्रदेश का बजट प्राथमिकता एवं चुनाव
5. पुलिस बजट एवं उसका वितरण

(ग) भारत का भूगोल (स्वाध्याय हेतु विषय)

1. भारत के मानचित्र का व्यवहारिक ज्ञान।
2. प्राकृतिक भाग, मुख्य औद्योगिक नगर, रेलवे लाइन, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, मुख्य नदियाँ
3. भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश व उनकी राजधानियाँ।

(घ) सामान्य जानकारी (स्वाध्याय हेतु विषय)

1. पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर
2. अखिल भारतीय पुलिस ड्युटी मीट
3. उपलब्धियाँ तथा पुरस्कार
4. विभिन्न खेल प्रतियोगितायें
5. विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व
6. विख्यात पुस्तकें।
7. लक्ष्य प्रतिष्ठित पदों के प्रमुख।

(ङ) नवीन राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय घटनाचक्र (स्वाध्याय हेतु विषय)

(च) पर्यावरण (स्वाध्याय हेतु विषय)

1. ग्लोबल वार्मिंग का ज्ञान।
2. पर्यावरण संरक्षण।

2— भारतीय संविधान :-

1. प्रस्तावना :- अनुच्छेद 1
2. मौलिक अधिकार :- अनुच्छेद 12 से 35
3. मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व :- अनुच्छेद 36 से 51, 51 ए
4. निर्वाचन :- अनुच्छेद 324 से 329, 330, 332, 340
5. आपात उपबन्ध :- अनुच्छेद 352, 353, 355, 356, 358, 359
6. शासकीय सेवकों को प्राप्त संरक्षण :- अनुच्छेद 311
7. राष्ट्रपति/राज्यपाल/राज्य के प्रमुखों का संरक्षण :- अनुच्छेद 361, 361क
8. जनहित याचिका(उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय)

3— मानवाधिकार एवं उससे संबंधित समस्याएँ :-

1. मानवाधिकार एवं पुलिस कार्य प्रणाली में उनकी महत्ता एवं उपयुक्तता।
2. मानवाधिकार के संरक्षण का संवर्धन में पुलिस की भूमिका।
3. पुलिस द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन।
4. हिरासत में हिंसा—सताया जाना, मृत्यु व बलात्कार, कारण एवं निवारण।
5. पुलिस द्वारा लागू किये जाने वाले विभिन्न कानूनों में मानवाधिकार के प्राविधान।
6. समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचार व उनके संरक्षण में पुलिस की भूमिका।
7. शिकायतकर्ताओं, अपराध के भुक्तभोगियों, संदिग्धों, गिरफ्तार व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ व्यवहार के संबंध में विभागीय निर्देश और न्यायिक मार्गदर्शन बिन्दु।
8. विधि विरुद्ध जमाव व भीड़ की ड्युटी में मानवाधिकारों का संबंध।
9. हथकड़ियों के उपयोग के संबंध में विभागीय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शन
10. राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग—कार्य एवं शक्तियाँ।

4— जेण्डर सेंसाटाइजेशन/समाज के अन्य वर्गों के प्रति दृष्टिकोण :-

1. भारत में महिलाओं की स्थिति तथा लैगिंग भेदभाव, उसके कारण एवं प्रकार।
2. महिलाओं के विरुद्ध अपराध/अत्याचार के प्रकार—कारण एवं आकड़े।
3. पुलिस थाना स्तर पर पीड़ित महिला के प्रति पुलिस प्रतिक्रिया /पुलिस का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण एवं व्यवहार व कानूनी दृष्टि से पुलिस का अपेक्षित व्यवहार।
4. विभिन्न अपराधों एवं अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं से साक्षात्कार की विधियाँ।
5. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के अन्वेषण एवं अभियोजन में कमियाँ एवं सुधार।
6. पुलिस विभाग में महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थिति (कार्यक्षेत्र में लैंगिक समानता)
7. महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं अत्याचार संबंधी विधिक प्राविधान एवं न्यायालयों के निर्णय।
8. पुलिस का समाज के दलित व पिछड़े वर्गों के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण तथा वर्तमान स्थिति व अपेक्षित व्यवहार।
9. मानसिक रूप से बीमार, विकलांग, नशेड़ी, पागल व आत्मघाती व्यक्ति के बारे में पुलिस का दृष्टिकोण एवं व्यवहार।

5— पुलिस का आचरण :-

1. पुलिस आचरण के सिद्धांत।
2. वर्तमान समय में पुलिस का आचरण व उसका पुलिस के कार्य एवं छवि पर प्रभाव।
3. पुलिस का जनता से अच्छे सम्बन्धों की आवश्यकता।
4. पुलिस का पर्यटकों से सहयोगात्मक/मधुर व्यवहार—आवश्यकता एवं महत्व।
5. पुलिस बल में सहयोग की भावना को जागृत करना तथा उसे बनाये रखना।
6. पुलिस बल का अपने उच्चाधिकारियों /समान रैंक/अधिनस्थों के प्रति व्यवहार।

6- पुलिस के समक्ष चुनौतियाँ :-

1. आतंकवाद-कश्मीर एवं अन्य राज्यों पर उसका प्रभाव।
2. भारत में आई0एस0आई0 की गतिविधियाँ।
3. विघटनकारी शक्तियों यथा पूर्वी उ0प्र0 में नक्सलवादी गतिविधियाँ, पीपुल्स बार ग्रुप पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी संगठन एवं इनकी गतिविधियों को रोकने के उपाय।
4. भारत के पड़ोसी देशों से संबंध-चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश
5. भारत की अन्तर्राष्ट्रीय महाशक्तियों से संबंध।

7- आतंकवाद :-

- 1- विभिन्न आतंकवादी संगठनों का विवरण उसका मुखिया तथा ठिकाने।
- 2- हाल में हुई जघन्य आतंकवादी घटना का अध्ययन –
 - (क) मृत एवं घायल व्यक्तियों की संख्या।
 - (ख) घटना में संलिप्त मुख्य अपराधी/आतंकवादी संगठन।
 - (ग) घटना में इस्तेमाल की गई विस्फोटक सामग्री एवं डिवाइसों की जानकारी तथा प्रयोग का तरीका।
 - (घ) पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।
 - (ङ) घटना की अघतन स्थिति।
 - (च) घटना का अनावरण किस प्रकार किया गया।
 - (छ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये पुलिस द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जानी चाहिये।

षष्ठम समूह—कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस एवं पुलिस दूरसंचार प्रणाली।

कालांश – 65

पूर्णांक:— 100 अंक

1. कम्प्यूटर का परिचय एवं मूल सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली।
2. कम्प्यूटर का पुलिस विभाग में प्रयोग।
3. **कम्प्यूटर का संगठन (सी0पी0यू0)** :- इनपुट, आउटपुट, ए0एल0यू0, सी0यू0, मैमोरी
4. **इनपुट डिवाइस** :- की बोर्ड, माउस, स्कैनर, आवाज को इनपुट करने तथा पहचानने वाले सिस्टम, ओ0एम0आर0, कार्ड रीडर, वेब कैमरा
5. **आउटपुट डिवाइस** :- प्रिन्टर और उसके प्रकार, मॉनीटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, वाईस रिसर्पोन्स सिस्टम, स्पीकर।
6. **स्टोरेज यूनिट** :- प्राइमरी एवं सैकेण्डरी मैमोरी के प्रकार तथा उदाहरण सहित।
7. **कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर** :- सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का परिचय
8. **ऑपरेटिंग सिस्टम**:- विण्डोज 8/विण्डोज 7/विण्डोज एक्स0पी0/लाइनक्स
9. **विण्डोज के मुख्य घटन** :-
 - 1-डेस्कटॉप के पोप-अप मेन्यू के सभी विकल्प।
 - 2- सिस्टम आइकॉन मेन्यू के विकल्प।
 - 3-आइकॉन और उनके प्रकार।
 - 4- टास्कबार।
 - 5- विण्डो के अवयव।
10. **विण्डोज के द्वारा फाइल प्रबन्ध**।
 - 1-फाइल, फोल्डर, फोल्डर ट्री, फाइलों और फोल्डरों को सिलेक्ट करना, फाइल और फोल्डर बनाना।
 - 2- फाइल और फोल्डर का नामांकन और पुनः नामकरण, विण्डोज एक्सप्लोरर को कस्टमाइज करना।
11. **स्टार्ट मेन्यू पर मौजूद एसेसरीज**
 - 1-एसेसविलेटी, कम्प्यूनीकेशन, इन्टरटेटमेन्ट, सिस्टम टूल्स, पेन्ट
 - 2- नोट पैड, वर्ल्ड पैड, कैलकुलेटर, इन्टरनेट।
12. **इंटरनेट का परिचय**
 - 1-इन्टरनेट एवं इसकी विशेषतायें तथा प्रमुख इंटरनेट प्रोवाइडर एवं प्रयुक्त होने वाले उपकरण।
 - 2- **इन्टरनेट संरचना** :- इन्टरनेट के अवयव, यू0आर0एल0, इन्टनेट प्रोटोकॉल एवं सर्च इंजन।
 - 3-**ब्राउजर्स एवं उसकी मूल विशेषताएं** :- हॉस्ट कम्प्यूटर, वेब ब्राउजर, वेब एड्रेस, वेब फॉर्म्स, वेब कुकीज तथा वेब पेज को सेव और प्रिन्ट करना।
 - 4- ई-मेल का परिचय एवं प्रयोग होने वाले ई-मेल प्रोटोकॉल।
 - 5- ई-मेल ई-मेल एकाउंट बनाना तथा उस पर कार्य करने का व्यवहारिक ज्ञान।
 - 6- **इन्टरनेट का प्रयोग** :- ऑन लाइन टेलीफोन डायरेक्ट्री, चोरी एवं बरामद वाहनों का मिलान, खोये-पाये व्यक्तियों एवं अज्ञात शवों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, मोस्ट वान्टेड अपराधियों के संबंध में सूचना एकत्र करना एवं अन्य सूचनाएं एकत्रित करना तथा ऑन लाइन बिल जमा करना, ऑनलाइन टिकट (रेल एवं एयरलाइन)

- 7- गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी स्थल की जानकारी प्राप्त करना।
- 8- इन्टरनेट के माध्यम से किये जाने वाले मुख्य अपराध एवं उनकी रोकथाम के उपाय।
- 9- विभिन्न श्रोतों द्वारा आने वाले कम्प्यूटर वायरस की जानकारी एवं एण्टी वायरस का प्रयोग।

13. सी0सी0टी0एन0एस0 :-

- 1-सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट के विषय में जानकारी।
- 2- सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट के आम जनता को हाने वाले लाभ।
- 3- सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट के विवेचक को होने वाले लाभ।
- 4- सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट से थाने के कर्चचारियों को होने वाले लाभ।
- 5- सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट से जनपद के अधिकारियों को होने वाले लाभ।

14. कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर :-

- 1-जे0डी0के0 इन्सटालेशन।
- 2- माई एस.क्यू.एल. सरवर इन्सटालेशन।
- 3- कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन्सटालेशन।
- 4- क्रियेट डी.बी. स्क्रिप्ट
- 5- क्रियेट ऑफ लाइन यूजर
- 6- क्रियेट डाटा बेस।
- 7- फॉर्म को भरना।

15. इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस :-

- 1-इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस:- कानूनी प्राविधान तथा अनुमति
- 2- इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस- विधि एवं कार्यप्रणाली तथा उपयोगिता।
- 3- मोबाइल फोन की कार्यप्रणाली एवं प्रकार तथा उसके विभिन्न फंक्शनों का प्रयोग।
- 4- लैण्ड लाइन एवं डब्लू0एल0एल0 टेलीफोन की कार्यप्रणाली
- 5- प्रदेश में कार्यरत मोबाइल कंपनियों के नाम एवं मुख्यालय तथा फोन नम्बर।
- 6- इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस- विभिन्न उपयोगी उपकरण।
- 7- इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस- कॉल डाटा रिकार्ड प्राप्त करना एवं विश्लेषण करना तथा संदिग्धों/अपराधियों की स्थिति का पता लगाना।
- 8- फोन टेपिंग- मोबाइल पर संदिग्धों/अपराधियों को सूचना एवं उनकी उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
- 9- विभिन्न अपराधों/घटनाओं के अनावरण में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के प्रभावी प्रयोग का ज्ञान।

16. पुलिस रेडियो दूरसंचार प्रणाली:-

- 1-पुलिस रेडियो दूरसंचार प्रणाली (वायरलैस संचार) आवश्यकता एवं विधि।
- 2- वी0एच0एफ0, रिपीटर, यू0एच0एफ0 संचार प्रणाली तथा सी0सी0आर0, डी0सी0आर0 की कार्यप्रणाली।
- 3- एच0एफ0 इलेक्ट्रॉनिक टेली प्रिन्टर, आर0टी0वाई0 तथा आधुनिक संचार की विधियाँ-सैटैलाइट कम्प्यूनिकेशन (पोलनेट), ऑप्टिकल फाइबर आदि।
- 4- रेडियो संदेश बनाना, लिखना, संदेशों का वर्गीकरण एवं इनकी प्राथमिकताएं।
- 5-वायरलैस सेटों की हैण्डलिंग, पुलिस वायरलैस सेटों/सिस्टम में आने वाली सामान्य कमियाँ एवं उनका निवारण।

पाठ्यक्रम वाह्य विषय

1- पदादि प्रशिक्षण

पूर्णांक:- 50 अंक

कालांश :- 60

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक	कालांश
1	टर्न आउट	04
2	स्कावड ड्रिल एवं कमाण्ड लीडरशीप	10	20
3	व्यक्तिगत योग्यता/प्रशिक्षकीय क्षमता	05
4	शस्त्र ड्रिल/रायफल एक्सरसाइज	10	15
5	रैतिक ड्रिल एवं सम्मान गार्द	04	06
6	गार्द माउटिंग	05	06
7	किर्च/केन ड्रिल	04	04
8	शोक कवायद/हर्ष फायर	04	04
9	ई०ओ०डी०।	04	05
योग		50	60

2- पुलिस प्रशिक्षण

पूर्णांक:- 50 अंक

कालांश :-60

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक	कालांश
1	एन्टी डकैती ड्रिल	05	10
2	दंगा नियन्त्रण/बलवा ड्रिल	10	15
3	बैत ड्रिल	05	05
4	टियर स्मोक ग्रेनेड (एण्टी रॉयट गन), शैल गन	05	05
5	रैस्पीरेटर ड्रिल	03	02
6	जलूस एवं मेले के समय पुलिस प्रबंध/ व्यवस्था	05	05
7	यातायात नियंत्रण ड्रिल	05	05
8	सड़क पंक्ति	04	03
9	प्राथमिक चिकित्सा	04	05
10	अग्निशमन एवं बचाव कार्य	04	05
योग		50	60

3- शस्त्र प्रशिक्षण

पूर्णांक:- 60 अंक

कालांश :- 38

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक	कालांश
फायरिंग (30 अंक एवं 10 कालांश)			
1	.303 बोर रायफल (गुपिंग, एप्लीकेशन, मूविंग, स्नैप, रैपिड फायर)	06	10 कालांश
2	7.62 एमएम एस0एल0आर0 रायफल (गुपिंग, एप्लीकेशन, मूविंग, स्नैप, रैपिड फायर)	06	
3	.303 एल0एम0जी0 (गुपिंग, एप्लीकेशन, सिंगलशट, बस्ट फायर)	06	
4	9एमएम स्टेन/9एमएम कार्बाइन (बैटल, क्राउच, एम)	06	
5	रबड़ बुलेट फायरिंग	04	
6	ग्रिनेड थ्रो व फायरिंग	02	
वेपेन्स थ्योरी (30 अंक एवं 42 कालांश)			
1	.303 बोर रायफल फायर ट्रैच करना एवं वेपन पिट करना।	06	05
2	7.62 एमएम एस0एल0आर0/ए0के0 47 रायफल एवं 5.56 एम0एम0 इन्सास रायफल थ्योरि	06	05
3	9एमएम स्टेन/9एमएम कार्बाइन थ्योरी	06	05
4	.303 एल0एम0जी0 थ्योरी/7.62 एमएम एल0एम0जी0	04	05
5	9एमएम पिस्टल/रिवाल्वर	02	02
6	जी0एफ0 रायफल/मिनी प्लेयर/ग्रिनेड	03	03
7	आई0ई0डी0, बूबी ट्रैप्स व एक्सप्लोसिव का ज्ञान एवं सावधानियाँ तथा पहचान एवं निष्क्रिय करना।	03	03
सम्पूर्ण योग		60	38

4- शारीरिक प्रशिक्षण एवं शारीरिक दक्षता

पूर्णांक:- 70 अंक

कालांश :-60

(1) शारीरिक प्रशिक्षण :-

पूर्णांक:- 24

कालांश:- 30

पुरुष वर्ग			महिला वर्ग		
क्र०सं०	विषय	अंक	क्र०सं०	विषय	अंक
1	पी०टी० एक्सरसाइज	06	1	पी०टी० एक्सरसाइज	10
2	कमाण्ड लीडरशिप	03	2	कमाण्ड लीडरशिप	03
3	चौड़ा घोड़ा	02	3	चौड़ा घोड़ा	05
4	लंबा घोड़ा	03	4
5	बीम (संख्या के आधार पर अंको का विभाजन)	04	5
6	सामने लुढक	02	6	सामने लुढक	02
7	पीछे लुढक	02	7	पीछे लुढक	02
8	रस्सा	02	8	रस्सा	02
		योग	24		
				योग	24

बीम :-

क्र०सं०	संख्या	अंक
1	08 बीम लगाने पर	04
2	06 बीम लगाने पर	03
3	04 बीम लगाने पर	02
4	02 बीम लगाने पर	0

(2) यू०ए०सी०

पूर्णांक:- 02 अंक

पुरुष वर्ग		महिला वर्ग	
विषय	अंक	विषय	अंक
यू०ए०सी०	02	यू०ए०सी०	02

(3) योगासन

पूर्णांक:- 04 अंक

विषय	अंक
सूर्य नमस्कार	04

(4) बी०ओ०ए०सी० :-

पूर्णांक:- 10 अंक

पुरुष वर्ग			महिला वर्ग				
क्र०सं०	विषय	अंक	क्र०सं०	विषय	अंक		
1	सीधा बैलेन्स	01	1	सीधा बैलेन्स	01		
2	किलियर जम्प	01	2	किलियर जम्प	01		
3	टेडा बैलेन्स	01	3	टेडा बैलेन्स	01		
4	डबल बीम	01	4	डबल बीम	01		
5	डबल डिंच	01					
6	मंकी रोप	01	5	मंकी रोप	02		
7	स्वंगिंग रोप	01	6	स्वंगिंग रोप	01		
8	12 फीट बाधा दीवार	02	7	50मीटर फिनिश दौड़	01		
9	धुस	01	8	धुस	02		
		योग	10			योग	10

शारीरिक दक्षता :-

पूर्णांक:- 30 अंक

कालांश 15

पुरुष वर्ग			महिला वर्ग				
क्र०सं०	विषय	अंक	क्र०सं०	विषय	अंक		
1	क्रिकेट बॉल थ्रो	05	1	क्रिकेट बॉल थ्रो	05		
2	क्रास कन्ट्री 03 कि०मी०	08	2	दौड़ 1500 मीटर	08		
3	दौड़ 400मीटर	06	3	दौड़ 400मीटर	06		
4	दौड़ 100 मीटर	05	4	दौड़ 100 मीटर	05		
5	सिट-अप 50 एक मिनट में	06	5	रस्सी कूद 50 एक मिनट में	06		
		योग	30			योग	30

शारीरिक दक्षता के उक्त विषयों का दूरी/समय के अनुरूप अंको का वर्गीकरण :-

(1) क्रिकेट बॉल थ्रो

पूर्णांक:- 05 अंक

पुरुष वर्ग			महिला वर्ग		
क्र०सं०	दूरी	अंक	क्र०सं०	दूरी	अंक
1	60 मीटर थ्रो	05	1	35 मीटर थ्रो	05
2	55 मीटर थ्रो	04	2	30 मीटर थ्रो	04
3	50 मीटर थ्रो	03	3	25 मीटर थ्रो	03
4	45 मीटर थ्रो	02	4	20 मीटर थ्रो	02

(2) क्रास कन्ट्री 03 कि०मी०(पुरुष) / 1500मीटर दौड़ (महिला)

पूर्णांक:- 08 अंक

पुरुष वर्ग क्रास कन्ट्री 03 कि०मी०			महिला वर्ग 1500मीटर दौड़		
क्र०सं०	समय	अंक	क्र०सं०	समय	अंक
1	14 मिनट में	08	1	07.30 मिनट में	08
2	14.01 से 15 मिनट तक	07	2	07.31 से 08.00 मिनट तक	07
3	15.01 से 16 मिनट तक	06	3	08.01 से 08.30 मिनट तक	06
4	16.01 से 17 मिनट तक	05	4	08.31 से 09.00 मिनट तक	05
5	17.01 से 18 मिनट तक	04	5	09.01 से 09.30 मिनट तक	04
6	18.01 से 20 मिनट तक	03	6	09.31 से 10.00 मिनट तक	03

(3) दौड़ 400 मीटर

पूर्णांक:- 06 अंक

पुरुष वर्ग			महिला वर्ग		
क्र०सं०	समय	अंक	क्र०सं०	समय	अंक
1	01.10 मिनट में	06	1	01.40मिनट में	06
2	01.11 से 01.15 मिनट तक	05	2	01.41 से 01.45 मिनट तक	05
3	01.16 से 01.20 मिनट तक	04	3	01.46 से 02.00 मिनट तक	04
4	01.21 से 01.25 मिनट तक	03	4	02.01 से 02.05 मिनट तक	03
5	01.26 से 01.30 मिनट तक	02	5	02.06 से 02.10 मिनट तक	02

(4) दौड़ 100 मीटर

पूर्णांक:- 05 अंक

पुरुष वर्ग			महिला वर्ग		
क्र०सं०	समय	अंक	क्र०सं०	समय	अंक
1	13.00 सेकेण्ड में	05	1	15.00 सेकेण्ड में	05
2	13.01 से 13.30 सेकेण्ड में	04	2	15.01 से 15.30 सेकेण्ड में	04
3	13.31 से 14.00 सेकेण्ड में	03	3	15.31 से 16.00 सेकेण्ड में	03
4	14.01 से 14.30 सेकेण्ड में	02	4	16.01 से 16.30 सेकेण्ड में	02

(3) सिट अप पुरुष/रस्सी कूद महिला

पूर्णांक:- 06 अंक

पुरुष वर्ग (सिट-अप 50)			महिला वर्ग- रस्सी कूद (50 जम्प)		
क्र०सं०	समय	अंक	क्र०सं०	समय	अंक
1	02.00 मिनट में	06	1	02.00 मिनट में	06
2	02.01 से 02.30 मिनट तक	05	2	02.01 से 02.30 मिनट तक	05
3	02.31 से 03.00 मिनट तक	04	3	02.31 से 03.00 मिनट तक	04
4	03.01 से 03.30 मिनट तक	03	4	03.01 से 03.30 मिनट तक	03
5	03.31 से 04.00 मिनट तक	02	5	03.31 से 04.00 मिनट तक	02

5- फील्ड क्राफ्ट एवं दस्यू उन्मूलन तथा आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण
पूर्णांक:- 60 अंक **कालांश :-50**

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक	कालांश
1	फील्ड क्राफ्ट के पाँच भाग पर विश्लेषण		12 कालांश
	ऑब्जरवेशन :- दिन एवं रात्रि	03	
	केमोफ्लाइज / कन्सीलमेंट	03	
	किसी ऑपरेशन पर जाने पर तैयारी	03	
	जंगी चाल, खाली हाथ / शस्त्रों के साथ, आडो के प्रकार	03	
	फायर कन्ट्रोल आर्डर	03	
2	आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण		15 कालांश
	आतंकवादी क्षेत्र में मोबाइल चैक पोस्ट लगाना	04	
	रोड बैरियर चैकिंग	04	
	गुरिल्ला टैक्टिक्स	04	
	कानवॉय एवं स्कोर्ट ड्युटी / सावधानियाँ	04	
3	तलाशी-व्यक्ति, मकान, गाड़ी, गाँव एवं क्षेत्र की तलाशी	06	04
4	आतंकवादी के स्थान पर दबिश डालना	06	04
5	एम्बुश करना एवं एम्बुश से बचना, इमिडियेट एक्शन ड्रिल	06	04
6	पैदल एवं गाड़ी से क्षेत्र में गश्त करना।	05	03
7	प्लान ड्राइंग		08 कालांश
	दिशाओं का ज्ञान, कम्पास से रीडिंग पढना, मैप रीडिंग, रात्रि में मार्च करना, ग्राउंड टू मैप, मैप टू ग्राउण्ड	04	
	सैंड मॉडल का प्रयोग, ब्रीफिंग व डी-ब्रीफिंग एवं डिस्कशन	02	

एम०टी० प्रशिक्षण

कालांश :- 18

पूर्णांक:- 10 अंक

क्र०सं०	विषय	अंक
1	मोटर साईकिल (व्यवहारिक)	05
2	मोटर साईकिल (थ्योरी)	05
	योग	10

संसोधन
द्वारा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।

अन्तः कक्ष विषय

प्रथम समूह दण्ड प्रक्रिया संहिता

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 4 के अर्न्तगत धारा 37 व 40
2. अध्याय 06 के अर्न्तगत गिरफ्तारी का वारण्ट 70 से 74 तथा उद्घोषणा और कुर्की 82 से 86

द्वितीय समूह केन्द्रीय विविध अधिनियम

1. पुलिस अधिनियम 1861 के स्थान पर उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 महत्वपूर्ण धारायें
2. राज्य के अधिनियम में क्रमांक 04 पर उ0प्र0 गोवध अधिनियम के स्थान पर उत्तराखण्ड गोवध संरक्षण अधिनियम 2007
3. यू0पी0 पी0ए0सी0 एक्ट 1948 को समाप्त किया जाय क्योंकि उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा 13 में उत्तराखण्ड राज्य में सशस्त्र बटालियनों का गठन प्रशिक्षण, तैनाती और प्रशासन, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा 13 के अनुसार होगा।

तृतीय समूह कानून एवं व्यवस्था, पुलिस रेग्युलेशन एवं कर्तव्य तथा पुलिस संगठन

1. तृतीय समूह में उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के स्थान पर उत्तराखण्ड राज्य आचरण नियमावली लिखा जाय।

पंचम समूह कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा इलैक्ट्रॉनिक सर्वेलांस एवं पुलिस दूरसंचार प्रणाली

1. कम्प्यूटर प्रशिक्षण के अर्न्तगत क्रमांक 13 पर अंकित सी0सी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर के स्थान पर सी0सी0टी0एन0एस0 सॉफ्टवेयर के विषय में विविध जानकारी।
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण के अर्न्तगत क्रमांक 14 पर अंकित प्रोट्रेट विल्डिंग सिस्टम के स्थान पर सी0सी0टी0एन0एस0 के कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के समस्त इंस्टालेशन की कार्यवाही।

वाह्य विषय

1. पुलिस प्रशिक्षण के अर्न्तगत वाहन प्रबन्ध ड्रिल को हटा दिया गया है क्योंकि इसका वास्तविक रूप से पुलिस ड्युटी में कोई महत्व नहीं है।
2. पुलिस प्रशिक्षण की महत्ता को देखते हुये इसके कालांश 46 से बढ़ाकर 60 कर दिये गये हैं।
3. पुलिस प्रशिक्षण की महत्ता को देखते हुये बढ़ाये हुये कालांशो को शस्त्र प्रशिक्षण के कालांशों में घटाया गया है। जिससे शस्त्र प्रशिक्षण प्रभावित नहीं होगा।